प्रेषक,

सहदेव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 15 सितम्बर, 2020**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418-30प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत बजट आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-291-94/एम0जी0एस0वाई/2021, दिनांक: 04.09.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418-30प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0-4000.00 लाख के सापेक्ष मानक मद-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0-130.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-100.00 लाख (रू0-एक करोड़ मात्र) अवमुक्त कर आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

शाखा **(धनराशि लाख रूपये में)**

क्र0 सं0	**अनुदान सं0/लेखाशीर्षक**	**मद संख्या**	**वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक प्राविधान**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	अनुदान संख्या-10-2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-04-फल-0418-30प्र0खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	130.00	100.00
	योग-		130.00	100.00

(धनराशि रू0- एक करोड मात्र)

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इस आशय का प्रमाण-पत्र निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जहाँ आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही उपरोक्त मदों में व्यय किया जायेगा।
2. खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित मदों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। भिन्न स्थिति होने पर वित्तीय अनियमितता माना जायेगा, जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों/प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा।

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

4. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण यथा वित्तीय नियमों के अनुसार शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्यों की द्विरावृत्ति न हो।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24/03/2020, संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक-07/04/2020, संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक-11/04/2020 एवं संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक-18/05/2020 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. उक्त स्वीकृत धनराशि आहरण कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
9. लाभार्थियों की सूची विभागीय बेबसाईट पर प्रदर्शित की जाये।

भवदीय,

(सहदेव)
विशेष सचिव।

संख्या-90/2020/664 (1)/58-2-2020, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.gov.in